उपखण्ड
रामगढ़ शेखा

15/5/18 पत्रावली पेश हुई। वकील साहब/प्रतिवादीगण उपस्थित। एस. डी. ओ. साहब अन्य काम में व्यस्त है भ्रमण पर है। मिसल पर जादेशानुसार दिनांक 17/5/18 को पेश हो

17/5/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट कामधार में पेश हुई। पक्षकारान अग्रिम पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोक किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है अतः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.5.13 को जारी इयगत आदेश पुष्ठ किया जाता है तथा अप्रार्थी क्र. 1 ता 6 को जरिये अंतरिम निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि विवादित जमीन खसरा नं. 33 वाले ग्राम रघुलपुर के किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करे। पत्रावली अंतरिम हुक्म होकर नम्बर से कम होकर खुले बाद के तालग्न की निर्णय दिनांक 17/5/18 को खुले न्यायालय के सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी (सीकर)

लोक अदालत / कैम्प कोर्ट 2018
ग्राम पंचायत रामगढ़